राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3794/2024

शीला देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, धौलपुर।
5. पूजा राजपूत, वर्तमान सहायक अध्यापक, लेवल 1 (संविदा आधार), माहात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली, बरेह।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 19.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र सिंह तनवर, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने चयन की उचित प्रक्रिया के बाद शिक्षक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर वर्ष 1996 में नियुक्ति हुई और अपीलार्थी ने राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिनसिनी, ब्लॉक डीग, भरतपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात् दिनांक 13.07.2001 से 30.09.2010 तक अपीलार्थी ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फराशपुरा, राजाखेड़ा, धौलपुर में तथा दिनांक 01.10.2010 से 24.05.2016 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नसीलपुर, लालपुर, राजाखेड़ा, धौलपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। तत्पश्चात, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलपुर ने दिनांक 21.05.2016 के आदेश द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में विकल्प बुलाकर अपीलार्थी की सेवाएं अपने अधीन ले लीं। इसके अतिरिक्त, इसी आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नसीलपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंघावली, बरेह, धौलपुर में स्थानांतरित कर दी गईं। तब से अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अंतराल अवधि के दौरान अपीलार्थी का विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली, बरेह के रूप में क्रमोन्नत हो गया। (अनुलग्नक–3) प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 05.08.2023 को संविदा के आधार पर सहायक अध्यापक स्तर 1 की नियुक्ति के उद्देश्य से नियुक्ति आदेश जारी किया। उपर्युक्त आदेश

दिनांक 05.08.2023 के क्रम संख्या 11 में, निजी प्रतिवादी सुश्री. पूजा राजपूत को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावाल, बरेह में नियुक्ति दी गई तथा क्रमांक 12 पर सुश्री शिवानी शर्मा को भी इसी विद्यालय में नियुक्ति दिए जाने का विचार किया गया। दिनांक 14.11.2024 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने राजस्थान राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के उद्देश्य से विशिष्ट निर्देश जारी किए। उपर्युक्त निर्देशों में बिन्दु संख्या ाा (15) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिशेष शिक्षकों को उसी विद्यालय, उसी राजस्व गांव, या ग्राम पंचायत या ब्लॉक में रिक्तियां उपलब्ध होने पर या यदि ब्लॉक में कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं, तो निकटतम ब्लॉक में समायोजित किया जाएगा। (अनुलग्नक–4) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के बावजूद अपीलार्थी को पूरी तरह से झटका देते हुए, प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध और मनमाने तरीके से, पूरी तरह से बिना सोचे–समझे 07.12.2024 को आपत्तिजनक पोस्टिंग आदेश जारी किया, जिसके तहत प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए, उसकी सेवाओं को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सिंघावली, बरेह से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, महुगुलावली, बसेड़ी, धौलपुर में समायोजित/स्थानांतरित कर दिया। अपीलार्थी को अवैध रूप से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ पदधारी अभी भी उसी ग्राम पंचायत या उसी ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे आलौच्य आदेश दिनांक 05.08.2023 के आदेश (निजी प्रत्यर्थी के रूप में) को सभी परिणामी लाभों सहित अपास्त फरमाया जावे। साथ ही आदेश दिनांक 14.11.2024 के निर्देशों को सभी परिणामी लाभों सहित अपास्त फरमाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी एक सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक सप्ताह की

अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य